आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

......................................से.......................................तक

आदेश पत्रक – ता0.., सन् १९.......................

जिला.., सं0..

केस का प्रकार.............................

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
19/09/2023		

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद सं0–42/2015

मो0 शेरो अंसारी व अन्य ....अपीलकर्त्ता

– बनाम –

मो0 रसूल एवं राज्य .... रेसपॉण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद मो0 शेरो अंसारी उर्फ मोहम्मद शेर, पिता–स्व0 मो0 सगीर अंसारी व संजीता बेगम, पति मो0 शेरो अंसारी, सा0–मंजौरा, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–03/2011–12 मो0 रसूल बनाम मो0 शेरो अंसारी में दिनांक 05.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा–14 के तहत दायर किया गया है, जिसमें मो0 रसुल पिता–मो0 बसीर मरहूम, सा0–भटोनी, हाल निवासी–मंजौरा, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा को प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न हैं :–

मौजा–मंजौरा	खाता	खेसरा	रकवा
थाना न0–160	444	1621	02 x 11 वर्ग कड़ी 01 धूर

अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी सं0–01 ने निम्न न्यायालय में बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–3

लोक भूमि अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी (उक्त वाद में विपक्षी) को नोटिस निर्गत किया गया लेकिन विपक्षी उन्हें उक्त नोटिस का तामिला नहीं होने दिए तथा एकपक्षीय सुनवाई करवाकर आदेश प्राप्त कर लिए। अपीलार्थीगण का कहना है कि वे मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं तथा रोजी-रोटी के सिलसिला में बाहर थे, उसी दौरान विपक्षी सं0-01 के द्वारा अंचलाधिकारी के गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उनकी अनुपस्थिति में निम्न न्यायालय से गलत आदेश पारित करवाया गया। अपीलार्थीगण का कहना है कि वे पूर्व में गृहविहीन थे। बिहार सरकार के बन्दोवस्ती योजना के अंतर्गत अपीलार्थीगण को भूमि आवंटित करने हेतु अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज में बन्दोवस्ती अभिलेख सं0-135/1992-93 प्रारंभ किया गया तथा स्थल जाँचोपरान्त उन्हें खाता-444, खेसरा-1621 व 1629 में $8\frac{1}{2}$ डी0 जिसकी चौहद्दी उ0-अर्जुन साह, दक्षिण-नसीमा, दिनांक-18.05.1994 को आवंटित करते हुए भू-बन्दोवस्ती का परवाना निर्गत किया गया। आवंटित भूमि पर उन्हें दखल कब्जा दिला दिया गया। उक्त भूमि से संबंधित जमाबंदी सं0-442 कायम हुआ, जिसकी मालगुजारी अदाय कर लगान रसीद भी वे लोग प्राप्त करते आ रहे हैं। बंदोवस्ती प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भूमि पर विपक्षी सं0-01 के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय से दिनांक-05.06.2013 को अतिक्रमण वाद सं0-03/2011-12 में एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया गया है, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि उक्त अतिक्रमण वाद की सुनवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। साथ ही उनकी अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज के गलत प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि के बन्दोवस्तदार को ही निम्न न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-01 के द्वारा दाखिल लिखित जबाव में बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि खाता (नया)-444, खेसरा (नया)-

दक्षिण–1665, पूरब–मुख्य सड़क, खेसरा 1672, पश्चिम–खेसरा 1626 है। उनका कहना है कि उनके द्वारा गणेशी साह से दिनांक–11.08.2004 को खाता (पु0)–299, खाता (नया)–318, खेसरा (पु0)–1313, खेसरा (नया)–1622 रकवा–02 डी0 किस्म बसोबास डीह खरीदी गई। उनके द्वारा प्रश्नगत खाता (नया)–444, खेसरा (नया)–1621, रकवा–01डी0 (20 कड़ी X 11 कड़ी) का उपयोग रास्ता के रूप में किया जाता रहा। अपीलार्थीगण के द्वारा उसी रास्ता को जाफरी से घेर कर अतिक्रमण करने पर विपक्षी सं0–01 के द्वारा अंचल वाद सं0–01/2007–08 दायर किया गया। अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज ने अंचल अमीन से प्रश्नगत भूमि की नापी एवं स्थलीय जाँच करवाकर मुखिया एवं ग्रामीणों के उपस्थिति में विवाद का निराकरण करना चाहा, किन्तु अपीलार्थी पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये। विपक्षी सं0–01 का कहना है कि उक्त अतिक्रमण वाद में अंचल अधिकारी से कोई फलाफल प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को विधिवत आवेदन समर्पित किया गया, जिनके द्वारा अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर बिल्कुल सही एवं दुरूस्त आदेश पारित किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि खेसरा (नया)–1621 की बन्दोवस्ती अपीलार्थीगण को नहीं है, बल्कि उनके द्वारा बन्दोवस्ती पर्चा पर गलत ढंग से उक्त खेसरा को दर्ज कराया गया है। तदालोक में उनके द्वारा इस अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत वाद इस न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत लाया गया है, जो गलत है। प्रश्नगत वाद निम्न न्यायालय के अतिक्रमण वाद में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया। बिहार लोक अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–11 में समाहर्त्ता

अतिक्रमण के मामले में द्वितीय अपील अथवा पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त के आलोक में इस भूमि विवाद अपीलवाद को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

19/11

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

19/11

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।